"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 96] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2014— फाल्गुन 5, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2014 (फाल्गुन 5, 1935)

क्रमांक-3382/वि. स./विधान/2014. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 7 सन् 2014) जो सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2014 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 7 सन् 2014)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2014

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम 1899 का सं. 2) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची 1-क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की अनूसूची 1-क में, निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात् :-

(1) अनुच्छेद 15 के कॉलम (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि के स्थान पर, शब्द "प्रतिभूति रकम या मूल्य का दो प्रतिशत." प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) अनुच्छेद 20 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"20क. समाशोधन सूची -

(क)	यदि स्टाक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय के संव्यवहारों से संबंधित है ;	: अधिकतम एक हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए ऐसी सूची की प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में यथास्थिति, मिलान कीमत या संविदा कीमत पर संगणित प्रतिभूतियों के मूल्य पर प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिये एक रुपया.
(ख)	यदि स्टाक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत एक निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय के शेयर स्क्रिप, डिबेन्चर स्टॉक या इसी प्रकृति की अन्य विपण्य योग्य प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय के संव्यवहारों से संबंधित है.	: ऐसी सूची की प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में यथास्थिति, मिलान कीमत या संविदा कीमत पर संगणित प्रतिभूतियों के मूल्य पर प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिये एक रुपया."

(3) अनुच्छेद 33 और तत्स्थानी कालम (1) एवं (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"33. **दान की लिखत**, जो परिनिर्धारण (क्रमांक 58) या वसीयत या अंतरण (क्रमांक 62) न हो ;

(क)	जब दानग्रहिता, दानदाता के परिवार का सदस्य न हो,	: वही शुल्क जो उस संपत्ति के जो दान की विषयवस्तु है, के बाजार मूल्य के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक 23) पर लगता है.
(ख)	जब दानग्रहिता, दानदाता के परिवार का सदस्य हो.	: संपत्ति जो दान की विषयवस्तु है, के बाजार मूल्य के आधा प्रतिशत की दर से.

स्पष्टीकरण :- इस प्रयोजन हेतु दानदाता के संबंध में परिवार से अभिप्रेत है दानदाता का पिता, माता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, भाई, बहन और पौत्र-पौत्री."

(4) अनुच्छेद 45 और तत्स्थानी कालम (1) एवं (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"**45. विभाजन की लिखत** [धारा 2 (15) में यथा परिभाषित];

(क)	जहां विभाजन में निहित संपत्ति गैर कृषि प्रयोजन हेतु परिवर्तित हो या गैर कृषि प्रयोजन हेतु तात्पर्यित हो ;	: प्रत्येक अंशधारी के लिए दो हजार रुपए.
(ख)	जहां विभाजन में निहित संपत्ति कृषि भूमि है ;	: प्रत्येक अंशधारी के लिए एक सौ रुपए.
	परंतु यह कि जहां विभाजित की जाने वाली भूमि के विषय में किसी न्यायालय में न तो कोई विवाद न ही कोई मामला लंबित है :	: कोई शुल्क देय नहीं.
	परंतु यह और कि भूमि, जिसका विभाजन किया जा रहा है, सीलिंग के प्रावधानों के भीतर नहीं है ;	
(ग)	जहां किसी राजस्व प्राधिकारी या सिविल न्यायालय द्वारा पारित किया गया अंतिम आदेश या विभाजन करने का	: दस रुपये."

निर्देश देने वाला किसी मध्यस्थ द्वारा दिया पंचाट, विभाजन की किसी लिखत के लिये अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है और ऐसे आदेश या पंचाट के अनुसरण में विभाजन की लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है.

(5) अनुच्छेद 48 के खण्ड (च-एक) और तत्स्थानी कालम (1) एवं (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(च-एक) जबकि वह प्रतिफल के बिना दिया गया है और अभिकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी स्थावर संपत्ति को विक्रय, दान, विनिमय अथवा स्थायी रूप से अन्यांक्रान्त करने के लिए प्राधिकृत करता है ;

(क)	इसके निष्पादन की तारीख से दो वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए ;	: एक हजार रुपए.
(ख)	इसके निष्पादन की तारीख से दो वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए या जबकि वह अप्रतिसंहरणीय हो, या जबकि वह किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित न हो ;	: वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक 23) पर लगता है.
(ग)	जबकि वह निष्पादन कर्ता के रिश्ते में पिता, माता, पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री, भाई या बहन, को दिया गया हो और जबकि वह किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित न हो.	: एक हजार रुपए."

(6) अनुच्छेद 55 और तत्स्थानी कालम (1) एवं (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"55. **निर्मुक्ति**-अर्थात् कोई लिखत (जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिये धारा 23-क द्वारा उपबंध किया गया है) जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर होने वाले दावे का या किसी विनिर्दिष्ट संपत्ति के विरुद्ध दावे का परित्याग करता है ;

(क)	जब वे परिवार के सदस्य न हो;	वही शुल्क जो संपत्ति के उस शेयर जिस पर दावे का परित्याग किया गया है, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, जो भी उच्चतर हो, के बंधपत्र (क्रमांक 15) पर लगता है.
(ख)	जब वे परिवार के सदस्य हो.	: वही शुल्क जो संपत्ति के उस शेयर जिस पर दावे का परित्याग किया गया है, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, जो भी उच्चतर हो, का आधा प्रतिशत.

स्पष्टीकरण :- खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए व्यक्ति के संबंध में परिवार से अभिप्रेत है व्यक्ति का पिता, माता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, भाई, बहन और पौत्र-पौत्री."

उद्देश्य और कारणों का कथन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत राज्य में स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता उसकी अनुसूची 1-क में प्रावधानित है. इस अनुसूची में अचल संपत्ति के हस्तांतरण (अनुच्छेद-23) संबंधी दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता को 7.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया गया. यह कमी केन्द्र प्रवर्तित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे. एन. एन. यू. आर.) को क्रियान्वित करने के परिपेक्ष्य में राज्य एवं केन्द्र सरकार के मध्य निष्पादित एम. ओ. यू. के अनुक्रम में की गई है तथा वर्तमान में अंचल संपत्ति के खरीदी बिक्री के दस्तावेजों पर संपत्ति के बाजार मूल्य की 5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है. जिसके परिणामस्वरूप अन्य प्रकार के विलेखों जैसे बंधपत्र, दान, विभाजन तथा निर्मुक्ति आदि पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दरों को अनुपातिक रूप से युक्तियुक्त किया जाना आवश्यक है.

जबकि अचल संपत्ति से संबंधित मुख्त्यारनामा (Power of Attorney) की लिखतों को नियंत्रित करने के लिए अब 2 वर्ष की समयसीमा का प्रावधान रखते हुए स्टाम्प शुल्क को बढ़ाया जा रहा है परन्तु परिवार के सदस्यों के पक्ष में लिखे गये मुख्त्यारनामें में समय सीमा का बंधन नहीं है.

जबकि वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन के साथ स्टाक/शेयर डिबेन्चर इत्यादि के संव्यवहार भी अस्तित्व में आये हैं इसलिए ऐसे संव्यवहारों पर भी स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता का युक्तियुक्तकरण किया जाना आवश्यक होगा ताकि राज्य को ऐसे संव्यवहारों पर समुचित राजस्व प्राप्त हो सके.

रायपुर
दिनांक 20-2-2014

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-क के सुसंगत उद्धरण

* * * * * * * * * * * * * *

अनुच्छेद	लिखितों का वर्णन		उचित स्टाम्प शुल्क
15.	बंधपत्र-जैसा कि धारा 2 (5) द्वारा परिभाषित किया गया है, किन्तु जो डिबेंचर न हो और जिसके लिये इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम 1870 (1870 का सं. 7) द्वारा अन्यथा उपबंध न किया गया हो :-		
	प्रतिभूत रकम या मूल्य पर ;	-	ऐसी रकम या मूल्य का चार प्रतिशत.
	परंतु यदि मूल्य या रकम दस रुपये गुणित न हो, तो उसे दस रुपये के निकटतम गुणित तक पूर्णांकित किया जाएगा, पांच रुपये तथा उससे अधिक को दस रुपये गिना जायेगा तथा पांच रुपये से कम को छोड़ दिया जायेगा.		परंतु यदि देय शुल्क की रकम पचास पैसे का गुणित न हो, तो उसे निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा, आधे रुपये तथा उससे अधिक भाग को एक रुपया गिना जायेगा और आधे रुपये से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा.
21.	* * * * *	-	
33.	दान का लिखत, जो परिनिर्धारण (क्रमांक 58) या विल या अंतरण (क्रमांक 62) न हो -	-	वही शुल्क जो उस संपत्ति के जो कि दान के विषयवस्तु है, बाजार मूल्य के बराबर बाजार मूल्य के लिये हस्तांतरण-पत्र (क्रमांक 23)पर लगता है.
45.	विभाजन की लिखत [धारा 2 (15) द्वारा यथा परिभाषित]	-	वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के पृथक किये गये अंश या अंशों के बाजार मूल्य की रकम के बंधपत्र (क्रमांक-15) पर लगता है.

टिप्पण-संपत्ति विभाजित किये जाने के पश्चात् बच रहे सबसे बड़े अंश को (या यदि समान मूल्य के दो या अधिक अंश हैं और जो अन्य अंशों में से किसी भी अंश से छोटे नहीं है, तो ऐसे समान अंशों में से एक अंश को) ऐसा अंश समझा जायेगा जिससे कि अन्य अंश पृथक कर दिये गये है ;

परन्तु सदैव यह कि-

(क) जब विभाजन की कोई ऐसी लिखत हो जिसमें संपत्ति को अनन्याधिकृत रूप से विभक्त करने का करार अंतर्विष्ट हो, निष्पादित की गई हो और ऐसे करार के अनुसरण में विभाजन कर दिया गया हो, तो ऐसा विभाजन प्रभावी करने वाली लिखत पर प्रभार्य शुल्क में से प्रथम लिखत के संबंध में संदत्त शुल्क की रकम कम कर दी जायेगी, किन्तु यह दस रुपये से कम नहीं होगी.

(ख) जहां किसी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित किया गया विभाजन संबंधी अंतिम आदेश या विभाजन करने का निर्देश देने वाला किसी मध्यस्थ द्वारा दिया पंचाट, विभाजन की किसी लिखत के लिये अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे आदेश या पंचाट के अनुसरण में विभाजन की लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क दस रुपये से अधिक नहीं होगा :

अनुच्छेद	लिखितों का वर्णन		उचित स्टाम्प
			(ग) जहां भूमि राजस्व बंदोबस्त पर धा[illegible]त हो वहां (इस बात के होते हुए भी कि उस पर भू-राजस्व देय है या नहीं) शुल्क के प्रयोजन के लिये बाजार मूल्य की संगणना उसके वार्षिक भू-राजस्व के साठ गुने पर की जायेगी.
48.	मुख्तारनामा-जैसा कि धारा 2 (21) में परिभाषित किया गया है, जो कि प्रतिपत्र (प्राक्सी) (क्रमांक 52) न हो-		
	(च-एक)		
	1- जबकि पांच से अनधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया हो,	-	एक सौ रुपये.
	2- जबकि पांच से अधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया हो,	-	एक सौ पचास रुपये.
55.	निर्मुक्ति-अर्थात् कोई लिखत (जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिये धारा 23-ए द्वारा उपबंध किया गया है) जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर होने वाले दावे का या किसी विनिर्दिष्ट संपत्ति के विरुद्ध दावे का त्याग कर देता है ;	-	वही शुल्क जो उस संपत्ति जिस पर दावे का त्याग कर दिया गया है, प्रतिफल या बाजार मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, के बंध पत्र (क्रमांक 15) पर लगता है.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़, विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.